भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/80/2022/एफ.सी. दिनांकः /04/2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- जनपद - बागेश्वर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0 मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चैड़ीकरण हेतु 18.405 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्टीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no FP/UK/ROAD/151120/2022)

सन्दर्भः- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1307/12-1: देहरादूनः दिनांक 06.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.10.2023 में चर्चा की गई थी जिसके अन्तर्गत समिति द्वारा 03 बिन्दुओं पर जानकारी/ दस्तावेज़ चाहते हुए प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई थी। परंतु संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.10.2023 का जवाब प्रेषित किया गया है अतः आपसे अनुरोध है कि आर.ई.सी. की बैठक के MoM अनुसार अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें जो की निम्नानुसार है:

1. The DFO, Almora Forest Division is required to inspect the CA area and submit the detailed report of suitability of the area for raising plantation @ 1000 trees per hectare. If the same is not found suitable, the same is required to be replaced with some other area or additional area may be proposed to accommodate the remaining trees.
2. Since the proposal is affecting huge number of trees i.e. 5981 trees (including 3095 saplings), it is requested to minimize the number of tree to be felled in the proposal. A committee shall be constituted under the chairmanship of concerned DFO and representative of the Project Authority who will assess the requirement of felling during the construction and order to cut the trees accordingly in order to avoid blanket felling. The same may also be communicated

to the Regional Office.

3. State Government is also requested to submit the Wildlife Mitigation Plan in the proposal.

4. इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में यह पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर-वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर-वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'in-principle approval' under the Adhiniyam' । अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर-वन भूमि का चयन कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

Signed by Neelima Shah भवदीया,
Date: 03-04-2024 11:31:04

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।